

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. LSG/AJMER/FIRENOC/2024-25/43570

Dated: 30-MAY-2025

Certified that the MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at MAHESH PATH, VAISHALI NAGAR, ANASAGAR CIRCULAR ROAD, AJMER (RAJ.) (address) comprised of 0 basement(s) and 3 (upper floors) owned/ occupied by MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL unit of MAHESH SHIKSHAN SANSTHAN (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 26-MAY-2025 (date of inspection) in the presence of Mr. Balmukund Maheshwari (name and addresses of the Manager) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII With effect from 30-MAY-2025 for a period of 2 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 30-MAY-2025 (date of issue) at AJMER (place) by
*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

Name : Mr. Gaurav Tanwar

Designation : Fire Officer

Name & Address of Department/ Office: Nagar Nigam, Ajmer

To
MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL,
VAISHALI NAGAR, AJMER
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT


PRINCIPAL
Maheshwari Public School
AJMER

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to
.....
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

नगर निगम, अजमेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/AJMER/FIRENOC/2024-25/43570
जारी दिनांक: 30-MAY-2025 वैधता दिनांक: 29-MAY-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL AJMER CO BALMUKUND MAHESHWARI

आवेदक का पता: VAISHALI NAGAR, AJMER

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL, C/O MAHESH SHIKSHAN SANSTHAN, MAHESH PATH NEAR PETROL PUMP, VAISHALI NAGAR, AJMER, AJMER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलीटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
5. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
6. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
7. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
8. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
9. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
10. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
13. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।




PRINCIPAL
Maheshwari Public School
AJMER

Signed by: Kirti Kumari Kumawat
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: AJMER, Rajasthan
Date: 30/05/2025 13:44:01

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, अजमेर